File No.81-7005(099)/274/2020-07-, पत्रांक : 1962/आर एम एस कैम्प/21
दिनांक : 25/X/2021

मानानीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2021 को अपरान्ह 04:30 बजे लोक भवन स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2021 को लोक भवन स्थित सभाकक्ष में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1– श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3– श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– श्री मुश्ताक अहमद, विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– श्री समीर, विशेष सचिव, वित्त वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– श्री महेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– श्री राजेश कुमार पाण्डेय, एपीडी/विशेष सचिव, नमामि गंगे विभाग, उ0प्र0 शासन।

8– श्री अमित प्रणव, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।

9– श्री भीष्म लाल वर्मा, उपायुक्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

10– श्री सुशील कुमार पटेल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

11– श्री विपिन जैन, ईडी, एसआरएम (अरबन)।

12– श्री गोपाल सिंह, सीई (डब्ल्यूआर), सिंचाई।

13– श्री अभय पाण्डेय, एएमसी, नगर निगम, लखनऊ।

2– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, गोरखपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं पूर्व में उक्त के उल्लंघन हेतु अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद की सुनवाई दिनांक 06.12.2021 को नियत है।

3– बैठक में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–116/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु निम्नवत् बिन्दुओं पर समीक्षा की गयीः–

1– **नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना किये जाने तक अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन का कार्य** :–

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 (लागत

VC/OM
CEO(C-6)/LO-1
21/10/2021
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

रू0 46.32 करोड) एवं नगर पंचायत, मगहर में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 28.36 करोड) धनराशि का प्रस्ताव एस0एम0सी0जी0 के माध्यम से एन0एम0सी0जी0 को प्रेषित किया गया है तथा एन0एम0सी0जी0 द्वारा उक्त डी0पी0आर0 में आपत्ति करते हेतु वापस कर दिया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत मगहर तथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में सीवेज शोधन हेतु फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा उपरोक्त के संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु समयबद्ध कार्य–योजना एवं कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 31.10.2021 तक मा0 अधिकरण में दायर की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत, मगहर एवं नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एफ0एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु स्वीकृति तत्काल सुनिश्चित कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

2– <u>गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना :–</u>

गीडा, गोरखपुर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 62.50 करोड़ की लागत से 7.5 एमएलडी क्षमता का सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना औद्योगिक विकास विभाग एवं रू0 17 करोड़ की धनराशि गीडा द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है तथा शेष धनराशि एन0एम0सी0जी0 से स्वीकृत की जानी है। एन0एम0सी0जी0 द्वारा डी0पी0आर0 की third party adequacy आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा करायी गयी एवं आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा डी0पी0आर0 में संशोधन हेतु सुझाव दिये गये। जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सुझावों को समाहित करते हुए संशोधित डी0पी0आर0 रू0 95.0 करोड़ पत्र दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली एवं एस0एम0सी0जी0 लखनऊ को प्रेषित की गई है। गीडा द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु 11.15 एकड़ भूमि को क्रय कर लिया गया है तथा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में औपचारिकता पूर्ण करने हेतु परामर्शी का चयन भी कर लिया गया है। गीडा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि सरिया नाले के अन्तरिम शुद्धिकरण व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन पद्धति के माध्यम से शुद्धिकरण किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है तथा उक्त निविदा दिनांक 11.10.2021 को खोली जानी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु शेष धनराशि की स्वीकृति हेतु फालोअप कर डी0पी0आर0 को शीघ्र एन0एम0सी0जी0 द्वारा अनुमोदित कराया जाये। उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि प्राप्त किए जाने हेतु एन0एम0सी0जी0 से प्रयास कर लिया जाय। यदि बजट प्राप्त होने में कठिनाई हो तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास कर लिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि औद्योगिक नाला (सरिया नाला) को अन्तरिम शुद्धिकरण व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन पद्धति के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित है अथवा नहीं, तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन 01 सप्ताह के भीतर किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एन0एम0सी0जी0 द्वारा शेष धनराशि हेतु बजट स्वीकृत किया जायेगा अथवा नहीं। अन्यथा की स्थिति में अवस्थापना विकास कोष से अतिरिक्त बजट की उपलब्धता

सुनिश्चित किये जाने पर विचार कर लिया जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

3– <u>जल निगम द्वारा रामगढ ताल में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण:–</u>

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ ताल में मुख्यतः 24 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें मुख्य 06 नालों के सीवेज का शुद्धिकरण एस0टी0पी0 द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 18 नालों के शुद्धिकरण हेतु सीवेज नेटवर्क एवं 05 एम0 एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य अमृत योजना एवं आर0के0वी0के0 परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। उक्त कार्य अंतिम रूप से अप्रैल, 2023 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन द्वारा उक्त 18 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा नालों की टैपिंग संबंधी कार्यों की टाईमलाईन की गहन समीक्षा करें तथा युद्ध स्तर पर कार्यों को न्यूनतम समय–सीमा में पूर्ण करायें।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– <u>राप्ती नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना एवं अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा नालों से निस्तारित उत्प्रवाह का शुद्धिकरण:–</u>

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर स्थित राप्ती नदी एवं उसकी सहायक नदियों में मुख्यतः 15 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिनके शुद्धिकरण हेतु डी0पी0आर0 तैयार किये गये हैं तथा उनकी स्वीकृति होनी है। वर्तमान में अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू मल–जल के शुद्धिकरण हेतु बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन द्वारा उक्त 15 नालों का शुद्धिकरण किया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राप्ती नदी के उक्त 15 नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के वित्त पोषण के सम्बन्ध में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर धनराशि स्वीकृत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से वित्त पोषित कराये जाने की संभावनाओं को भी ज्ञात कर लिया जाय।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/वित्त/नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

5– <u>सरयू नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सरयू नदी में 22 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है, जिसमें 05 नाले टैप हैं तथा एस0टी0पी0 द्वारा सीवेज का शुद्धिकरण हो रहा है। शेष 16 नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 06 एम0एल0डी0 एवं 33 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 एस0टी0पी0 स्वीकृत हैं। फैजाबाद कैंट एरिया का 01 नाला तथा निर्मली कुण्ड की टैपिंग हेतु योजना अभी

तैयार की जा रही है, जिसके लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा डी0पी0आर तैयार करने हेतु धनराशि की मांग नमामि गंगे विभाग से की गयी है। नगर विकास विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अयोध्या हेतु सीवरेज नेटवर्क स्वीकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सरयू नदी के 16 नालों की टैपिंग एवं सीवेज शोधन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त 01 नाला की डी0पी0आर0 तैयार कराकर उसके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/ एस0एम0सी0जी0/उ0प्र0 जल निगम)

6– <u>घाघरा नदी में निस्तारित होने वाले समस्त नालों को टैप किया जाना :–</u>

नगर विकास विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि घाघरा नदी में 14 नालों द्वारा सीवेज निस्तारित होता है तथा उक्त नालों के सीवेज के शुद्धिकरण हेतु 03 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि घाघरा नदी के नालों के सीवेज शोधन हेतु डी0पी0आर0 के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उक्त योजनाओं में वित्त पोषण की संभावनाओं को ज्ञात कर लिया जाय तथा अन्यथा की स्थिति में वित्त पोषण हेतु आवश्यक धनराशि के प्रस्ताव तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/एस0एम0सी0जी0/ उ0प्र0 जल निगम)

7– <u>नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धिकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की स्थापना:–</u>

नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने के दृष्टिगत एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण किये जाने हेतु मगहर रोड पर ग्राम–सुथनी एवं भीटी रावत में 10.36 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर क्रय कर लिया गया है। एम0एस0डब्लू0 प्रासेसिंग प्लान्ट की स्थापना एवं लैण्डफिल साइट का निर्माण हेतु डी0पी0आर0 (लागत रू0 31.579 करोड़) जल निगम द्वारा तैयार कर नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी है, डी0पी0आर0 में समय सीमा दिसम्बर, 2022 प्रस्तावित की गयी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को शीघ्र अनुमोदित कराते हुए एम0एस0डब्लू0 फैसिलिटी की स्थापना की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

8– <u>राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल को वेटलैण्ड घोषित किये जाने के सम्बन्ध में :–</u>

सिचांई विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राप्ती, घाघरा, सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के वेटलैण्ड घोषित किये जाने संबंधी नोटिफिकेशन कर दिया गया है तथा नदियों के फ्लड प्लेन जोन एवं रामगढ़ ताल के सीमांकन का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नदियों एवं रामगढ़ ताल के सीमांकन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर तथा अतिक्रमण को प्रशासन के सहयोग से हटाते हुये आख्या 15 दिन में वन विभाग को उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि सिचाई विभाग, राप्ती, घाघरा एवं सरयू नदी के फ्लड प्लेन जोन के ऐसे क्षेत्र

जो कि अतिक्रमित नहीं हैं, में भी ग्रामवार (ग्राम का नाम इंगित करते हुये) वृक्षारोपण हेतु सम्यक् प्रस्ताव तैयार कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि उनमें मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार बायोडायवर्सिटी पार्क/वृक्षारोपण की स्थापना का कार्य किया जा सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के घरों को यदि हटाया जाता है तो उस दशा में यथासम्भव उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, गृह/सिचाई/प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष/संबंधित जिलाधिकारी/गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर)

9– <u>मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड:–</u>

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ जमा नहीं की गयी है। प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिकल कालेज द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को संशोधित कराये जाने हेतु मा0 अधिकरण में एप्लीकेशन दाखिल किये जाने हेतु न्याय विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गई है तथा दिनांक 15.10.2021 तक मा0 एन0जी0टी0 में रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल कर दी जायेगी।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग)

10– <u>लखनऊ में सीवेज मैनेजमेन्ट के गैप को समाप्त किये जाने के संबंध में:–</u>

जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में लगभग 784 एम0एल0डी0 सीवेज जनित होता है, जिसमें से वर्तमान में 445 एम0एल0डी0 क्षमता के 05 एस0टी0पी0 लखनऊ शहर में कार्यरत है। 120 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 निर्माणाधीन है, जिसकी समय सीमा दिसम्बर, 2022 है तथा अतिरिक्त 29 एम0एल0डी0 एवं 01 एम0एल0डी0 के एस0टी0पी0 प्रस्तावित एवं स्वीकृत है, जिनकी समय सीमा फरवरी, 2023 है। इसके अतिरिक्त 03 एस0टी0पी0 जिनकी क्षमता क्रमशः 22 एम0एल0डी0 80 एम0एल0डी0 एवं 85 एम0एल0डी0 है भी प्रस्तावित है तथा वित्तीय स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये एवं जो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है उनके वित्त पोषण हेतु तत्काल वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11– <u>लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन:–</u>

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन न किये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध रू0 14.4071 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित की गयी है एवं एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट आपरेटर मेसर्स इको ग्रीन इन्र्जी प्रा0लि0, शिवरी, लखनऊ के विरूद्ध रू0 25.3271 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एम0एस0डब्लू0 प्लान्ट में डम्प लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 31.10.2021 तक पूर्ण नहीं किया

जाता है तो उस दशा में नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली धनराशि के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडेशन कार्य की प्रगति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सूचित करते हुए बायो–रेमेडियेशन का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग/नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

4– वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि विभागों द्वारा वित्तीय सीमा के ही अन्तर्गत कार्य कराया जाना अपेक्षित है। वित्त विभाग से यह अनुरोध किया गया कि उक्त कार्यों हेतु यथासम्भव अधिकतम बजट व्यवस्था पर विचार कर लिया जाए।

5– **बैठक के अंत में निम्न निर्देश दिये गये :–**

1) सभी कार्यों की कार्ययोजना बना ली जाए तथा इनकी फेजिंग करते हुए टाइम–लाइन बना लिया जाए। इसे माननीय एन0जी0टी0 को संज्ञान में भी लाया जाए।

2) आमी, राप्ती, सरयू एवं घाघरा नदियों में गिरने वाले नालों की टैपिंग से संबंधित सीवेज नेटवर्क एवं एस0टी0पी0 की स्थापना से संबंधित परियोजनाएं, जो स्वीकृत हो चुकी हैं तथा जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है उनमे कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा नगर विकास विभाग मासिक समीक्षा कर कार्यों को न्यूनतम अवधि में कार्ययोजना तैयार कर पूर्ण करायें।

3) जिन परियोजनाओं की स्वीकृति नहीं हुई है उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति हेतु वित्त विभाग/एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

4) सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों में निहित अपने से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति, अनुपालन पूर्ण किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण समय–सीमा सहित कार्ययोजना, अनुपालन में विलम्ब का कारण तथा कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में विलम्बतम दि0–31.10.2021 तक दाखिल कराते हुए उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (ईमेल– **soenvups@rediffmail.com**) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल– **ms@uppcb.in**) को प्रेषित की जाय।

5) मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित विभाग)

अन्त में सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

Signed by मनोज सिंह
Date: 21-10-2021 11:03:58
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव।

File No.81-7005(099)/274/2020-07-,

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-360/81–7–2021–44(रिट)/2016 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एस0एम0सी0जी0, लखनऊ।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
7– सदस्य सचिव, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
8– गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।